न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—87 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 87

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

मगाराम पुत्र स्व० श्री सुजाना, जाति रबारी, निवासी सामरानी, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

1. जैरूपा पुत्र श्री पीरा फौत के का०मु०—

1/1 केसी पत्नि स्व० श्री जेरूपा जाति रबारी

1/2 वरधाराम पुत्र स्व० श्री जेरूपा जाति रबारी

1/3 उदाराम पुत्र स्व० श्री जेरूपा जाति रबारी सभी निवासी सामराणी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

1/4 मरेमा पुत्री स्व० श्री जेरूपा पत्नी लक्ष्मणाराम जाति रबारी निवासी करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

1/5 पार्वती पुत्री स्व० श्री जेरूपा पत्नी श्री अमराराम जाति रबारी निवासी कुडा तहसील सांचोर जिला जालोर।

1/6 संतोष पुत्री स्व० श्री जेरूपा पत्नी श्री मलाराम जाति रबारी निवासी कुडा तहसील सांचोर जिला जालोर।

1/7 तारी पुत्री स्व० श्री जेरूपा पत्नी श्री आंबाराम जाति निवासी दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 24.07.2019 जो राजस्व अपील संख्या 18/2018 अनवान मगाराम बनाम जैरूपा में जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित किया। जिसके द्वारा विद्वान सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 41/88 ग्राम सामरानी के पारित आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी।</u>

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :—
1. श्री लाधूराम पूनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री धीमाराम मांजू, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट।

:: **निर्णय** ::

दिनांक:— 24.12.2024

1. न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 जो राजस्व अपील संख्या 18/2018 अनवान मगाराम बनाम जैरूपा जिसके द्वारा विद्वान सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 41/88 ग्राम सामरानी के पारित आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलात सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

विद्वान जिला कलक्टर जालोर व सहायक भू अभिलेख अधिकारी पार्टी नम्बर 2 जोधपुर का अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध क्षेत्राधिकार के बाहर का व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील को गुणदोष परखारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। जबकि विद्वान जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील गैरकानूनी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। क्योकि विद्वान सहायक सेटलमेन्ट अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी को आपसी सहमति से भी बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के सामलाती भूमि का अलग अलग पर्चा लगान जारी करने का अधिकार नही था यह केवल पूर्व की जमाबंदी की परिविष्टी को दोहराने का कार्य कर सकता है तथा भूमि विभाजन या अधिकार अभिलेख में भूमि के हिस्से में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही कर सकता है, इसप्रकार विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी का अपीलाधीन आदेश गैरकानूनी पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील को म्याद बाहर मानने मे भारी विधिक भूल की गयी है, जबकि उनके समक्ष

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत अपील के अपीलाधीन आदेश गैरकानूनी तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधिक भूमि रकबा अपने नाम दर्ज करवाने के लिये संबंधित अमीन से मिलकर अपीलार्थी के पिता को अंधेरे मे रखकर उसकी गैरहाजिरी मे उसके पीठ पीछे धोखे से प्रांप्त किया गया है तथा आलोच्य कार्यवाही में अपीलार्थी के पिता की हाजिर नही है तथा बयान भी एक कागज पर दो गवाह के सामलात मे विधिविरुद्ध दर्ज किये है। इसप्रकार कपटपूर्वक प्राप्त किये गये आदेश के विरूद्ध किसीप्रकार की म्याद लागू नही होती है। इसकारण दोनो अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है।

उपरोक्त के अलावा विद्वान सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष भूमि विभाजन का भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा का सहमति वाला इकरारनामा प्रस्तुत नही हुआ तथा भूमिधारी की सहमति के बिना किसीप्रकार का कोई भूमि विभाजन नही किया जा सकता, इसप्रकार विद्वानसहायक भू अभिलेख अधिकारी का पर्चालगान अलग अलग जारी करने का अपीलाधीन आदेश धारा 53 (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ होने से शुन्य है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है। विद्वान जिला कलक्टर ने उक्त कानूनी प्रावधानो को देखे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो भी विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत अपील के विषय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भूल से गलत अंकित हो गयी, जबकि उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध होने से धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में आती है इसलिए वर्तमान द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत की जा रही है।

विद्वान जिला कलक्टर जालोर का अपीलाधीन आदेश विधि के विपरित मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है तथा अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। जबकि विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी पार्टी नम्बर 2 जोधपुर को सामलाती भूमि का बिना किसी सक्षम अधिकारी के भूमि विभाजन किये अलग अलग पर्चा लगान जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, इसप्रकार विद्वान सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा अलग अलग पर्चा लगान जारी करने की विधिविरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गयी कार्यवाही गैरकानूनी होने से स्वतः ही शुन्य एवं निरस्तनीय है। इसप्रकार विद्वान जिला कलक्टर ने कानूनी प्रावधानो की अनदेखी करके गलत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसप्रकार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो का आदेश गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य आगे के पदो मे दिया जा रहा है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

ग्राम सामरानी वर्तमान तहसील रानीवाडा के पुराने भूमि ख०न० 260, 264, 305 कुल रकबा 56 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 296, 300, 301 व 354 अपीलार्थी के दादा एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता स्व० पीरा वल्द काना की खातेदारी की थी, उस समय गांव का द्वितीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही चल रही थी, उस दोरान भूमि के खातेदार पीरा का देहांत दिनांक 21.06.1988 को हो गया, इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भूमापक के समक्ष विरासत की कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत किया तथा मृतक खातेदार पीरा की अपीलार्थी के पिता सुजाना व प्रत्यर्थी संख्या 1 उत्तराधिकारी होना

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बताकर विरासत मे दोनो के नाम की नाम कायमी करने का निवेदन किया, इसके साथ ही एक प्रार्थनापत्र कब्जा अनुसार अलग अलग नाम दर्ज कर पर्चा लगान संशोधित करने व बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी पार्टी नम्बर 2 जोधपुर ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के भूमि विभाजन के आदेश के आदेश दिनांक 19.08.1988 को पारित कर भूमि ख०न० 296 रकबा 2.62 हैक्टयेर अपीलार्थी के पिता मृतक सुजाना के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी जैरूपा के हक मे सुजाना से अधिक भूमि ख०न० 300, 301, 354, कुल रकबा 6.09 हैक्टर भूमि रख करके संशोधित पर्चा अलग अलग नाम से जारी करने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया। जबकि विद्वान सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी पार्टी नम्बर 2 जोधपुर सामलाती खातेदारी की भूमि का सक्षम अधिकारी के माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन आदेश के अलग अलग पर्चा लगान जारी नही कर सकते है तथा पर्चा लगान सामलात मे ही जारी किया जा सकता है।

अपीलार्थी तथा उसकी माता सरमुदेवी ने उपरोक्त अलग अलग पर्चा लगान जारी करने के आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरुद्ध एक अपील विद्वान जिला कलक्टर महोदय जालोर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका विद्वान जिला कलक्टर जालोर ने अपीलार्थी की अपील को गुणदोष पर एवं म्याद पर सुनवाई कर अपीलार्थी की अपील मे विधिक आधार नही होना कहकर अपील को म्याद बाहर होना करकर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा खारिज किये जाने का आदेश दे दिया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2019 एव विद्वान सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी पार्टी नम्बर जोधपुर का आदेश दिनांक 19-08-1988 व उसकी पालना मे खसरा पत्रक मे किये गये परिवर्तन को निरस्त किये जाने का तथा उसमे वर्णित भूमि को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के सामलात मे बराबर हिस्से में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी के बटवाडे हेतु सुजाना व जैरुपा, पिसरान पीरा द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार बंटवाडा दिनाक 19.08.1988 को करवाया गया है सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा मौके पर दोनो भाईयों का अलग अलग कब्जा होने के आधार पर ही बंटवाड़ा किया गया है। दिनांक 19.08.1988 को सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा दोनों भाईयों के बयान भी कलमबद्ध किये है जिस पर दोनो भाईयों ने सहमति दी है बयान अनुसार खसरा नंबर 300, 301, 354 पर जैरूपा का कब्जा है। खसरा नंबर 300 पर सुजाना का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। मौके पर कब्जा किसका कितनी कितनी भूमि पर है यह पटवारी या आर.आई आदि की मौका रिपोर्ट होनी चाहिए जो पत्रावली पर नहीं है। बंटवाडा आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरूद्ध अपील बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त कारण अपीलांट द्वारा नही दर्शाये जाने के कारण अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य नही है अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सामरानी तहसील रानीवाडा में स्थित है जिसके पुराने खसरा नंबर 260, 264, 305 जिसका कुल रकबा 56 बीघा था जो पीरा पुत्र काना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी पीरा वल्द काना की मृत्यु सन् 1986 में हो गई थी। पीरा के पुत्र सुजाना द्वारा पिता के फौत होने के कारण फौतेदगी नामान्तकरण हेतु सैटलमेन्ट अधिकारीयो के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही नही कर पीरा के पुत्र सुजाना पुत्र पीरा व जैरूपा पुत्र पीरा के बीच पत्रावली संख्या 41/88 कायम कर दिनांक 19.08.1988 को उक्त आराजी का बंटवाडा आदेश कर दिया तथा सुजाना को बंट में 2.67 हेक्टर तथा जैरूपा को बंट में 6.08 हैक्टर भूमि दी गई जबकि सुजाना सम्पूर्ण आराजी मे 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था सैटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा बिना मौका कब्जा जांच किये ही रिपोर्ट पेश करने के आधार पर यह बटवाडा किया गया है। जबकि खसरा नंबर 300 रकबा 1.78 हैक्टर पर सुजाना बल्द पीरा का कब्जा कास्त था। सुजाना बल्द पीरा सन 1990 में फौत हो चुका है उनकी पत्नि सरमुदेवी भी फौत हो चुकी है तथा पुत्र बेसराराम नाओलाद हो फौत हो चुका है सुजाना के पुत्रीया नहीं है केवल मात्र अपीलांट मगाराम ही बारिशदार होने से सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी होने से आदेश दिनांक 19.08.1988 को निरस्त फरमाने।

वकील अपीलीट द्वारा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र के सदर्भ में तर्क दिया कि उक्त बंटवाडा सुजाना व जैरूपा के मध्य सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दिनांक 19.08.1988 को किया गया था तथा अपीलांट के पिता सुजाना सन 1990 में ही फौत हो चूके थे जिनके द्वारा सम्पूर्ण आराजी का बंटवाडा किये जाने का अपीलाट को नहीं बताया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पटवारी हल्का के आस अपने खाते की जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट के कब्जे वाली आराजी खसरा नंबर 300 में जैरूपा का नाम दर्ज है तब नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जो अन्दर म्याद प्रस्तुत किये जाने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमायें।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी के बटवाडे हेतु सुजाना व जैरुपा, पिसरान पीरा द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार बंटवाडा दिनाक 19.08.1988 को करवाया गया है सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा मौके पर दोनो भाईयों का अलग अलग कब्जा होने के आधार पर ही बंटवाड़ा किया गया है। दिनांक 19.08.1988 को सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा दोनों भाईयों के बयान भी कलमबद्ध किये हैं जिस पर दोनो भाईयों ने सहमति दी है बयान अनुसार खसरा नंबर 300, 301, 354 पर जैरूपा का कब्जा है। खसरा नंबर 300 पर सुजाना का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। मौके पर कब्जा किसका कितनी कितनी भूमि पर है यह पटवारी या आर.आई आदि की मौका रिपोर्ट होनी चाहिए जो पत्रावली पर नहीं है। बंटवाडा आदेश दिनांक 19.08.1988 के विरूद्ध अपील बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त कारण अपीलांट द्वारा नही दर्शाये जाने के कारण अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य नही है अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जानकारी लिये बिना आदेश पारित कर दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के विपरित है । अपीलाण्ट को जिस दिनांक से जानकारी हुई तभी से लिमिटेशन की गणना होगी। अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर फैसला नही किया गया है, मात्र अपील प्रस्तुत करने में देरी होने से अपील खारिज की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके कि स्थिति का अवलोकन भी नही किया गया है तथा न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया। प्रकरण के समस्त तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विवेचन नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 18/2018 बअनवान मगाराम बनाम जैरूपा एवं सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, जोधपुर की पत्रावली संख्या 41/88 आदेश दिनांक 19.08.1988 के निर्णय को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा को प्रकरण इनदिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड दस्तावेज की जांच तथा प्रकरण का अध्ययन एवं अवलोकन तथा तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति अनुसार मिटस एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवाडा करने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे । अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित स्पष्ट विवेचन के पश्चात्गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मतनिर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24/12/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner